only that. The excise duty on finished products has also been increased from Rs. 920 to Rs. 1000 per tonne. These steps will surely lead to the extinction of this industry and a bulk of the units are presently incurring cash losses and, with the additional import duty, these losses will increase further making it impossible for the units to continue operations. The increase in the international prices of metal scrap also has resulted in the increase in costs almost by Rs. 800 per tonne. The industry has, therefore, pleaded with the Finance Ministry for relief in the import duty to take care of the massive increase in raw material cost. When the secondary steel sector industry is itself struggling for its existence, when 30 per cent of the plants have been closed down or on the verge of closure, it is unfortunate that the Finance Ministry has increased the cost of the basic raw material. The prices of Indian steel are already quite high and increase in the cost further would make the industry totally unviable in the international arena. The Indian consumers are also unable to bear the high prices. This matter has already been taken up by the Standing Committee on Industry of which one of our senior Members, Mr. Hanumantha Rao, is the Chairman. I also plead that the Finance Minister should immediately withdraw the import duty on scrap and also reduce the excise duty on steel products from Rs. 1000 to Rs. 500. Thank you Madam.

Need to declare 49-Bordumsa-Diyum Assembly Constituency of Arunachal Pradesh as reserved seat for Scheduled Tribes of the State

SHRI NYODEK YONGGAM (Arunachal Pradesh) : Madam, my special mention is regarding one of the Assembly constituencies of Arunachal Pradesh which has been declared illegally as a general seat.

Arunachal Pradesh became a full-fledged State on February 20, 1987 with the provision of a 60-Member Legislative Assembly. All the 60 seats were reserved for the Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh since the whole State is dominated by the Scheduled Tribes only. The Delimitation Commission of India, along with the State Election Department, carried out the work of delimitation of all the constituencies and accordingly, on 24th April, 1989, the 49-Bordumsa-Diyum Assembly Constituency was also considered a "reserved seat" with the rest of the constituencies of the State.

After the completion of delimitation of constituency some underground conspiracy started in the 49-Bordumsa-Diyum Assembly Constituency for which reason the Delimitation Commission was forced to declare the said constituency as a "general one" on 17th July, 1989 without rhyme or reason. This is clearly an act of anti-local tribal because the population of the said constituency is belonged to Singphow, Tangas, Nokte and Khamti. There are few negligible tribals, namely, Deoris, Mishings, Adivasis, Morans and Kocharis who have migrated from Assam in the recent past. Another 10 per cent population of the said constituency is of Chakma refugees who had migrated from erstwhile East Pakistan in 1964 and who have been permitted to settle there by the Government of India on humanitarian ground. They have, however, no constitutional rights.

The local MLA who is now Dy. Speaker of the State Assembly along with tribal leaders had submitted a memorandum to the Chief Election Commissioner of India to withdraw the order and also requested him to preserve the constituency as "reserved seat" for tribals of Arunachal Pradesh but till now no action has been taken. Therefore, I request the Government to take necessary steps on this question before the elections to the Assembly of the State and declare 49-Bordumsa-Diyum Assembly Constituency as a "reserved seat" for Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh.

Child Marriages in Rajasthan

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं राजस्थान में प्रतिवर्ष अक्षातीज को 25 अप्रैल को मनाया जाता है

और उस दिन जो हजारों की संख्या में बाल-विवाह सम्पन्न होते हैं उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

राजस्थान में प्रतिवर्ष आखातीज को हजारों की संख्या में सामूहिक बाल विवाह सम्पन्न होते हैं । हालांकि बाल-विवाह को हरविलास शारदा एक्ट के अनुसार गैर-कानूनी मानती है । फिर भी बाल-विवाह होते हैं और हमारा प्रशासन मौन खड़ा देखता है ।

अमूमन देश में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक बाल-विवाह होते हैं जिसमें से 60 प्रतिशत अकेले राजस्थान में ऐसे विवाह होते हैं । इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और मंदसौर जिले तथा म.प्र., राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे जिलों में यह कुप्रथा जारी है । इस तरह बाल-विवाह की कड़ी में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है । इसके कारण सामाजिक, आर्थिक विषमता के अतिरिक्त रुढिवादी एवं शास्त्र-सम्मत मान्यताएं और साक्षरता का अभाव है । राजस्थान के एक सरकारी सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऐसे विवाहों में लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष से कम व लड़कियों की 14 वर्ष से कम ही होती है । वर्ष 1984 में राजस्थान में आखातीज के दिन 10 हजार बाल-विवाह हुए । 1986 तक यह संख्या 70 हजार तक पहुंच गई । इस वर्ष भी 7 हजार से अधिक बाल-विवाह हुए ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे देश में बाल-विवाह की जड़ें कितनी गहरी है ।

बाल विवाह द्वारा कोंटे बच्चों व दूध पीते नासमझ उम्रों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, जिसका खमियाजा उन्हें बड़े होकर चुकाना पड़ता है तथा ऐसे जोड़े आगे चलकर मानसिक व सामाजिक यातनाओं के शिकार होते हैं । इस वर्ष 25 अप्रैल आखातीज के मौके पर केवल राजस्थान में ही 7 हजार से अधिक बाल विवाह हुए । पुलिस ने जयपुर व टोंक में करीब 15 बाल-विवाह होने से रोके लेकिन शारदा एक्ट में एक भी बाल-विवाह रजिस्टर नहीं हो सका ।

इस बाल विवाह की स्थिति यह रही कि बड़े शहरों के आस-पास के गांवों—सांगनेर, बस्सी, चाकसू, अजमेर, अमोरागढ़, चीमू, जयपुर आदि में तो बाजे गाजे की धौंस और तड़क-भड़क कम रही, बाल शिशु दूल्हे को दुल्हनों के घर पर ही सजाया गया और विवाह की बरातें भी खामोशी के आलम में गुजरीं । ताकि स्थानीय पुलिस-प्रशासन को भनक न लगे पर शहरों से दूर-दराज के तितरिया, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, बूंदी आदि के गांवों में विवाह धूमधाम से संपन्न हुए और प्रशासन की माखौल उड़ायी गई । सिर्फ तितरिया में 4–12 वर्ष की आयु के बच्चों के तीन विवाह हुए और गोंडा गांव में दो । मध्य प्रदेश के राजगढ़ गुना मंदसौर में भी इसी तरह के विवाह हुए । इस तरह ये बाल विवाह अत्याधुनिकता के शिकार की ओर अग्रसर समाज की प्रगति के आगे काले धब्बे हैं और शर्मनाक भी । इनसे सिद्ध होता है कि हम लिबास खान पान में भले ही आधुनिक हुए हों पर वैचारिक धरातल पर आज भी जड़ और परम्पराओं की जकड़न की गिरफ्त में हैं ।

एक ओर हमारा विकासशील देश व समाज इक्कीसवीं शताब्दी में जा रहा है दूसरी ओर हम आखातीज जैसे पर्वों के आलोक में बाल-समाज के वर्तमान व भावी जीवन को रौंद रहे हैं, भविष्य के सपनों को कुचल रहे हैं । सरकार केवल कानून बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठती है । दूसरी तरफ जो जन-संगठन हैं वे सामाजिक जड़ताओं के सामने निहत्थे हैं । पिछले कुछ दिन पहले घटी राजस्थान के भटेरी गांव में भंवरी बाई की घटना हम सबको याद है । जब भंवरी बाई साथिन ने जन जागृति के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने का प्रयत्न किया तो उस पर सामूहिक बलात्कार किया गया व भंवरी बाई का सामाजिक बहिष्कार किया गया । वह अकेली पड़ गई । महिला एवं बाल विकास की साथिनें भी इस बार हताश व परेशान हैं । पिछले वर्ष जयपुर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा था । बच्चों की शादी करने वाले अभिभावकों को अदालत से सम्मन भेजकर पाबंद किया गया था । महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह करने वालों की सूची मंगाई थी । इस बार ऐसा कोई प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं हुआ । आखिर हम इस सामाजिक कुसंस्कार

से लड़ क्यों नहीं पाते, आज यह अहम सवाल है? संसदीय कार्य मंत्री जो स्वयं राजस्थान से आते हैं। वे इसमें कुछ रिएक्ट करेंगे।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार उस अभिशाप से लड़ने के लिए कृत संकल्प है? यदि है तो महिलाओं की निम्नलिखित मांगो पर सरकार जरूरी ध्यान देकर पूरा करें।

इस कुरीति से निपटने के लिए सरकार एक मोनिटरिंग एजेंसी बनाये जो इसकी निगरानी करे। इस कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को शामिल किया जाए व इन संस्थानों को पुलिस सहायता व प्रोत्साहन दिये जायें। सामाजिक रूप से आज भी मान्यता प्राप्त इस बाल विवाह का जनादोलन एवं जन चेतना के जरिए वातावरण निर्मित कर तोड़ने की जरूरत है। शिक्षा व बाल विवाह विरोधी जन आन्दोलनों को तेज किया जाए। महिला आयोग का इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्प होना होगा व सरकार को महिला आयोग की भी भूमिका व प्राथमिकता तय करनी होगी। केन्द्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाये, स्थानीय पुलिस व प्रशासन को भी कड़े निर्देश जारी करे जिससे कानून विरोधी बाल विवाहों को होने से रोका जा सके। जन साधारण में इस संबंध में जन चेतना जगाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया की सहायता लेकर टी.वी. पर इस विषय संबंधी फिल्में बनाकर दिखाई जाय व बाल विवाह विरोधी काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को टी.वी. पर अधिक से अधिक दिखाया जाय ऐसी शादियों को विलंबित करने के लिए विलंबित गौना करने वाले परिवारों को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जाये तथा 18–21 वर्ष से पहले किये गये गौने को दण्डनीय करार दिया जाय। बाल विवाह को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय और अधिनियम की धारा 4, 5, 6, के अनुसार विवाह करवाने पर 3 महीने की जेल व जुर्माने के प्रावधान की सख्ती से पालन किया जाय। राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आशय के फैसले के अनुसार अभी हाल ही में सम्पन्न हुए विवाहों के अभिभावकों से को दंडित किया जाए।

आशा है सरकार सामूहिक बाल विवाह की इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए इन महत्वपूर्ण सुझावों के मद्देनजर ठोस संरचनात्मक कदम ही उठाएगी ताकि उन नौनिहालों, बेजुबानों के सपने की इस कदर हत्या न हो सके।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मैं भी इसमें अपने आपकी एक सुझाव देकर सम्बद्ध करता हूं। मैंने कल भी दूसरे मसले पर अपने सुझाव दिये थे। चार पांच साल पहले राजस्थान के दो मंत्रियों ने अपने नाबालिक बच्चों के विवाह करवाये थे। वे कांग्रेस के मंत्री थे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम राजनैतिक दलों से संबद्ध नेता हैं, एम.एल.एज. हैं, एम.पीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वे अगर बाल विवाह करते हैं, करवाते हैं, ऐसे विवाहों में शामिल होते हैं तो उन्हें हथकड़ी लगा करके, गिरफ्तार करके, जेल भेजा जाए और साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त की जाय, उनको पार्टी से निकाला जाय। अगर यह कदम उठाएंगे तो बाल विवाह बन्द हो जायेंगे। कानून से बन्द होने वाले नहीं हैं।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan) : Madam, I also associate myself with Shrimati Veena Verma.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मैडम, मैं माननीय सदस्या श्रीमती वीणा वर्मा के साथ अपने जो सबद्ध करती हैं और इस बात पर अपनी चिन्ता जाहिर करना चाहती हूं। महोदया, आजादी के 45 वर्षों के बाद भी यह हकीकत है कि हर वर्ष अक्षय तृतीया की धज्जियां उड़ायी जाती हैं। कानूनी यथार्थ अपनी जगह पर है और सामाजिक यथार्थ अपनी जगह पर है। मुझे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि हमारे हिन्दुस्तान में गोबर युग और रॉकेट युग साथ-साथ पनपते हैं, साथ-साथ चलते हैं। तो इन अन्तर्विरोधों को हम आज भी दूर नहीं कर पाये। आज भी हमारे देश में सामाजिक पिछड़ापन सामंती संस्कृति एक हकीकत है। यह

जो सामाजिक कुसंस्कार है उसको तभी दूर किया जा सकता है जब जो ये आज पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे गांवों में, उनके लिये आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास हम गांवों के अन्दर ले जायें। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की कुप्रथायें जो लगातार चल रही हैं और राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जो अशिक्षा में शीर्ष पर है, सबसे ऊपर वहां सिरफिर लोगों की संख्या है और इसी कारण सामंती जकड़न यहां सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इन इलाकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आपने क्या कोई विशेष कदम उठाये हैं? खासकर महिलाओं में अशिक्षा जहां सबसे ज्यादा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अभी भी यह परम्परा वहां चली आ रही है। वहां के जो आफिसर हैं, कलेक्टर वहां के पुलिस अफसर और यहां तक, जैसा कि माननीय गौतम जी ने कहा, हर रोज हम यह भी खबर पढ़ते हैं कि माननीय राजनेताओं के बच्चे, उनके परिवार के बच्चे भी बाल विवाह करते हुए देखे जाते हैं। तो इस तरह का अगर हम मानदंड समाज के सामने रखेंगे तो हम समाज को क्या शिक्षा दे पायेंगे जब कि राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अपनी परम्पराओं के साथ इस तरह से चिपके हुए बैठे हैं। अगर ऐसा होगा तो वे नयी परम्परा नहीं डालने देंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस मामले में आगे आये। एक तरफ जहां हमें सामाजिक सुधार के आंदोलन को चलाने की जरूरत है, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की जरूरत है, वहीं पर सरकार के सख्त प्रोग्रामों की भी जरूरत है। सरकार सामाजिक और आर्थिक प्रोग्राम लेकर आये और सख्त कानूनी कार्यवाही करे उन लोगों के खिलाफ जो शिक्षित होते हुए भी इस प्रकार की परम्पराओं को जन्म दे रहे हैं। धन्यवाद।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : मैं अपने आप को इससे सबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जो राजकीय नेता एम०एल०ए० या एम०पी० ऐसे विवाहों में शामिल हों तो उनको भी दंडित करने की कोई प्रक्रिया तैयार की जाये। यह बहुत जरूरी है। जब तक राजनैतिक नेता इसका पालन नहीं करेंगे तब तक आम जनता पर इसका पालन करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा अकबर अहमद) : माननीय सदस्य बहन वीणा जी ने और अन्य सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

उपसभापति : गृह मंत्री तक भी पहुंचाइये और आप वित्त मंत्री भी हैं। एक महिला ने आर्थिक विकास की बात कही है वह भी कहिये। इसके अलावा जब तक एजूकेशन नहीं होगी, तालीम हासिल नहीं करेंगी, शिक्षा नहीं होगी तब तक यह कम रुकने वाला नहीं है। खाली कानूनों से नहीं रुकेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : जहां इस तरह से विवाह होते हैं उनमें 100 : आई०ए०एस० आफिसर हैं राजस्थान में। आई डोंट वांट टु नेम दि कम्युनिटी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सौ आई०ए०एस० अफसर हैं।

उपसभापति : उन आई०ए०एस० अफसरों की बीवियां पढ़ी-लिखी नहीं होंगी। अगर पढ़ी-लिखी हैं तो ऐसा नहीं होगा।

Plight of Tehra Dam Oustees

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : मैडम, डिप्टी चेयरमैन, मैं अपना स्पेशल मेंशन करने से पहले बहन वीणा जी ने जिस मुद्दे पर बोला है उससे अपने आपको सबद्ध करना चाहूंगा। मैंने भी इस मुद्दे पर अपना स्पेशल मेंशन भेजा था। जो तथ्य इन्होंने कहे हैं मैं एक-दो और बात इसमें और कहना चाहता हूं।

उपसभापति : अब आप अपनी ही कह दीजिये। नहीं तो आप यही बोल दीजिये और टिहरी पर कल बोल दीजिये। क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। आठ सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री वीरेन्द्र कटारिया : मैं अपने मेंशन को आधा करूंगा, पर इस पर जरूर बोलना चाहूंगा।

उपसभापति : तो बोल दीजिये।

श्री वीरेन्द्र कटारिया : राजस्थान में सेन्ट्रल रूल है और गवर्नर साहब ने बहुत अपील की